



यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2019-22/18/2020

दिनांक : 04.02.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ द्विपक्षीय वार्ता

मुख्य श्रम आयुक्त की सलाह पर, आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य द्विपक्षीय वार्ता का एक और दौर 30.01.2020 को मुम्बई में सम्पन्न हुआ। वार्ता के दौरान हुए विचार-विमर्श के विषय में एआईबीईए द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/173/2020/11 दिनांक 03.02.2020 का अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

30.01.2020 को आईबीए के साथ द्विपक्षीय वार्ता

अपने परिपत्र दिनांक 27.01.2020 द्वारा हमने दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा आयोजित समझौता बैठक से संबंधित घटनाक्रम के बारे में अपनी यूनियनों तथा सदस्यों को सूचित कर दिया था।

इसके बाद, मुख्य श्रम आयुक्त की सलाह के अनुसार, आईबीए ने 30.01.2020 को मुम्बई में द्विपक्षीय बैठक के एक दौर के लिए यूएफबीयू को आमंत्रित किया। आईबीए की टीम का नेतृत्व नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन श्री राजकिरण राय जी. (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा किया गया। हमारी सभी घटक यूनियनें चर्चा में उपस्थित थीं।

- हमारे हड़ताल के नोटिस की मांगों को समझाने के बाद, और बहुत सारे विचार-विमर्श के बाद आईबीए वेतनपर्ची लागत में 13% वृद्धि अर्थात् ₹0 7,108 करोड़ के प्रस्ताव के साथ आया बशर्ते कि हम अपनी प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल को स्थगित करने के लिए सहमत हों।
- आईबीए ने कहा कि वेतनपर्ची लागत में यह वृद्धि ₹0 12,391 करोड़ की कुल लागत को शामिल करेगी यदि सेवान्त लागत का ध्यान रखा जाये।
- इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर, उन्होंने प्रस्ताव को बढ़ाकर 13.5% कर दिया।
- उन्होंने यह भी सूचित किया कि अतिरिक्त लोडिंग और मूल वेतन के साथ विशेष भत्ते के विलय की हमारी मांग पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि यह समग्र लागत में समायोजित हो सके।
- 5 दिवसीय बैंकिंग के संबंध में, उन्होंने सूचित किया कि यद्यपि वे इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यदि अन्य शेरधारक भी इसके लिए सहमत होते हैं तो वे खुले दिमाग से विचार कर सकते हैं।

- पारिवारिक पेंशन में सुधार पर, आईबीए ने दोहराया कि मुद्दा सरकार को संदर्भित है और एक अनुकूल निर्णय की उम्मीद है।
- पेंशन के अद्यतनीकरण की हमारी मांग पर, आईबीए ने कहा कि इसमें शामिल भारी लागत को देखते हुए इसके लिए एक ही बार में जाना संभव नहीं हो सकता लेकिन कुछ वहन करने योग्य लागत के अंतर्गत इसकी योजना बनाकर कुछ पूर्व समझौता अवधि के सेवानिवृत्तों को शामिल करने की शुरुआत करके इस पर अनुकूलतापूर्वक विचार करने के इच्छुक होंगे।
- 2010 के बाद के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को समाप्त करने पर, आईबीए ने सूचित किया कि यह उनके दायरे में नहीं है क्योंकि यह योजना सरकार की नीति के मद्देनजर है।

इसके साथ, आईबीए ने यूनियनों से हमारी 2 दिवसीय हड़ताल को स्थगित करने की अपील की।

चर्चा में मौजूद घटक यूनियनों के प्रतिनिधियों से पारस्परिक परामर्श करने के बाद, हमने आईबीए को सूचित किया कि यदि प्रस्ताव को 15% तक संशोधित किया जाता है, तो हम दो दिवसीय हड़ताली कार्यवाही के स्थगन पर विचार कर सकते हैं और शेष मुद्दों को बातचीत के आगामी दौर में हल किया जा सकता है। आईबीए ने अपने प्रस्ताव में सुधार करने में अपनी असमर्थता जताई और इसलिए इस स्थिति में चर्चा समाप्त हो गई और इसलिए यूएफबीयू ने हड़ताल के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

आईबीए की बैठक से हमारे निकलने के बाद, आईबीए के चेयरमैन, श्री रजनीश कुमार (एसबीआई के चेयरमैन) की ओर से एसबीआई कॉरपोरेट सेन्टर में उनके कार्यालय में आगामी चर्चा के लिए उनसे मिलने के लिए फिर से एक बुलावा आया।

इसलिए हमारे प्रतिनिधि फिर से इकट्ठा हुए और इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में, श्री रजनीश कुमार, श्री राजकिरण राय जी, चेयरमैन, नेगोशिएटिंग कमेटी और श्री आलोक कुमार चौधरी, उप प्रबंध निदेशक, एसबीआई उपस्थित थे।

इस बैठक के दौरान, आईबीए अध्यक्ष ने निम्नानुसार प्रस्ताव किया :

- प्रतिवर्ष 5 दिन/7 दिन के अर्जित अवकाश नगदीकरण के कारण व्यय लागत सहित 15% की वेतनपर्ची वृद्धि जैसा कि चर्चा के पिछले दौर में प्रस्ताव किया गया था।
- वैकल्पिक रूप से, लागत (रु0 7,900 करोड़) में यह 15% की वृद्धि पूरी तरह से वेतनपर्ची घटकों में ली जा सकती है उस स्थिति में अर्जित अवकाश नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

उन्होंने आगे कहा कि सेवान्त लाभों की भारी प्रभावी लागत को देखते हुए, विशेष भत्ते का विलय और 2% से अधिक लोडिंग संभव नहीं होगी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि मौजूदा बैंकिंग परिदृश्य और ग्राहकों की आवश्यकताओं को देखते हुए और बैंक अवकाशों की वर्तमान संख्या आदि के संबंध में, 5 दिवसीय बैंकिंग की हमारी मांग के लिए सहमत होना संभव नहीं होगा।

हमारे समझाने और प्रतिवेदन के बाद, वह इस पर सहमत हुए कि विशेष भत्ते के विलय और अतिरिक्त लोडिंग पर विचार किया जा सकता है और वेतनमानों को पारस्परिक रूप से सहमत समग्र लागत के भीतर पुनर्गठित किया जा सकता है। हमने इस पर भी जोर दिया कि 5 दिवसीय बैंकिंग की हमारी मांग को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए यह समझा गया कि इस मांग को आगे चर्चा के लिए खुला रखा जायेगा। इसके साथ, आईबीए ने हमारी हड़ताल को स्थगित करने की अपनी अपील को फिर से दोहराया। चूंकि यह यूनियनों को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए हम आईबीए के साथ सहमत नहीं हो सके।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री